राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार

उच्चतर शिक्षा और विद्यालय शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल आधारित अर्हताओं के विकास, संरेखण और कार्यान्वयन के लिए एसओपी।

1. राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) समग्र और बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए एनईपी के विजन पर ध्यान देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) को शिक्षा में सम्मिलित करने में समर्थ बनाता है। तदनुसार, कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं की एक विस्तृत रेंज को पूर्व निर्धारित शिक्षण परिणामों और मूल्यांकन मानदंडों के साथ सामान्य शिक्षा की प्रत्येक शाखा में पेश/ एकीकृत/ लागू किया जा सकता है।

2. ऐसे विभिन्न प्रकार के एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम हैं, जिन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और स्कूलों में लागू किया जा सकता है। एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं और पाठ्यक्रमों को अल्पावधिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और दीर्घावधिक प्रशिक्षण (एलटीटी) दोनों के संचालन के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। अल्पावधिक प्रशिक्षण ऐसे प्रशिक्षण हैं, जिनकी अवधि एक वर्ष से कम अथवा 1200 नोशनल शिक्षण घंटों की होती है। दीर्घावधिक प्रशिक्षण ऐसे प्रशिक्षण हैं, जिनकी अवधि एक वर्ष के बराबर अथवा अधिक अथवा 1200 नोशनल घंटों की होती है।

3. सभी विश्वविद्यालयों/ उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई)/ स्कूल बोर्डों को दिशानिर्देशों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) आधारित पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं के कार्यान्वयन का तरीका उन्नत पाठ्यक्रमों और छात्रों/ शिक्षुओं की बढ़ती भागीदारी पर केन्द्रित होना चाहिए। एनसीआरएफ के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार शिक्षण पाठ्यक्रम/ अर्हताएं लचीली होनी चाहिए, जिनमें शिक्षुओं को अपनी रुचि और पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम का चयन करने की सुविधा हो ताकि वे अपने कैरियर के लिए दिशा तय कर सकें।

उच्चतर शिक्षा में वीईटीएस का एकीकरण

4. ऐसा देखा गया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपने स्नातक/ स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता को लागू करने में कतिपय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

क. मुख्य धारा के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों के साथ एकीकरण के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा चुनी गई अर्हता स्नातक प्रथम वर्ष के लिए 4.5, स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए 5, स्नातक तृतीय वर्ष के लिए 5.5, स्नातक चतुर्थ वर्ष/ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए 6, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए 6.5 और एम.टेक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए 7 के अपेक्षित एनएक्यूएफ स्तर पर नहीं हो सकती, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अर्हताओं के शिक्षण परिणाम स्नातक/ स्नातकोत्तर कार्यक्रम में उपयुक्त वर्ष से मेल नहीं खाते हैं।

ख. स्तर 4.5 से 8 पर शुरुआती पूर्ण कौशल अर्हता की अवधि, जो स्नातक/ स्नातकोत्तर एनसीआरएफ स्तरों के अनुरूप है, अधिक हो जाती है और स्नातक/ स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या संरचना में समुचित रूप से तब तक फिट नहीं हो सकती, जब तक कि इन्हें पूर्ण सेमेस्टर इंटर्नशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जाए।

ग. एनएसक्यूएफ अर्हताएं सामान्यत: जॉब बाजार आधारित पाठ्यक्रम/ अर्हताएं होती हैं, जो नौकरी की भूमिका के लिए होती है। अतः एनएसक्यूएफ सोपान के तहत पूर्व अनुभव प्रायः एक अनिवार्य अपेक्षा होती है। तथापि, ऐसे पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं को उच्च शिक्षा में एकीकृत करते समय पूर्व अनुभव की ऐसी अपेक्षा को पूरा करना संभव नहीं हो सकता। साथ ही, ऐसे पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं के लिए प्रमाणीकरण एक जॉब भूमिका के रूप में होता है, जो भ्रामक हो सकता है।

5. उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में हुए, कौशल आधारित पाठ्यक्रम/ अर्हताएं उच्चतर शिक्षा में विभिन्न तरीके से लागू की जा सकती हैं। एनसीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार, किसी स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कुल क्रेडिट अपेक्षाओं का 50 प्रतिशत तक उपयुक्त एनसीआरएफ स्तरों (4.5 से 8) के कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ अर्हता से क्रेडिट अर्जित करके पूरा किया जा सकता है। उच्चतर शिक्षा में एनसीआरएफ के प्रचालनीकरण के लिए एसओपी के अनुसार, ऐसे कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं को उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपने छात्रों के लिए अलग-अलग तरीकों से लागू किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है :-

क. मॉडल-1 : कौशल आधारित पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं को स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में एकीकृत किया जाता है: कौशल आधारित पाठ्यक्रम/ अर्हताएं उच्चतर शिक्षा में पाठ्यचर्या संरचना के भाग के रूप में प्रस्तावित हैं।

क. उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने उच्चतर अधिकृत/ शैक्षणिक निकाय के अनुमोदन से उनके द्वारा विकसित किए गए ऐसे कौशल आधारित एनएचईक्यूएफ पाठ्यक्रम/ अर्हताएं प्रदान कर सकते हैं। एक बार उच्चतर शिक्षा संस्थान के उच्चतम शैक्षणिक निकाय के अनुमोदन से पाठ्यक्रम में एकीकृत हो जाने के बाद, कोई कौशल आधारित कार्यक्रम/ अर्हता एनएचईक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम हो जाता है।

ख. उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने उच्चतम अधिकृत/ शैक्षणिक निकाय के अनुमोदन से एनओएस या एमसी सहित कोई भी एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित कौशल आधारित पाठ्यक्रम/ अर्हताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। यहां तक कि यदि संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा ऐसे एकीकरण के लिए एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं/ एनओएस या एमसी चुनी गई हो, तो भी एनसीवीईटी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं/ एनओएस/ एमसी के लिए उचित उपयुक्त मूल्यांकन के अधीन संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा।

जहाँ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकरण के लिए एनसीवीईटी के मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय (एबी) द्वारा **अर्हता को विकसित किया जा रहा है** और एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए लाया जाता है तो निम्नलिखित लागू होंगे और विकसित करने वाले एबी द्वारा उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा :

i. यह एकीकरण उच्चतर शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम की पाठ्यचर्या डिजाइन और संरचना के अनुसार होगा।

ii. एकीकरण के लिए तैयार किया गया एनओएस/ एमसी/ अर्हता/ पाठ्यक्रम, किसी पाठ्यक्रम के संबद्ध नाम या कौशल अर्हता की प्रकृति का होगा और इसे जॉब भूमिका की नाम पद्धति के अनुसार होने की आवश्यकता नहीं है, जिससे छात्र या नियोक्ता भ्रमित हो सकते हैं।

iii. तथापि, यदि कोई छात्र 5 से 7 माह की परियोजना या इंटर्नशिप के रूप में निर्धारित घंटों के साथ पूर्ण एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित पाठ्यक्रम/ अर्हता प्रात करता है, तो ऐसे छात्र को क्रेडिट के साथ जॉब भूमिका आधारित प्रमाणीकरण भी जारी किया जा सकता है, जिसका उपयोग वह स्नातक/ स्नातकोत्तर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कर सकेगा।

iv. इस प्रकार, स्नातक/ स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के साथ एकीकरण के लिए तैयार की गई एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं इंटर्नशिप कार्यक्रम/ परियोजना के रूप में अध्ययन के कम से कम एक सेमेस्टर की अवधि के दौरान रह सकती है। इन अर्हताओं/ पाठ्यक्रमों को स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समग्र पाठ्यक्रम डिजाइन के साथ संरेखित किया जाना चाहिए और संबंधित नियामक द्वारा अधिकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान के निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ऐसी एनएसक्यूएफ अर्हताओं के लिए प्रवेश अपेक्षाओं हेतु किसी पूर्व कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी,

जिससे एनएसक्यूएफ मापदंडों में यथाउल्लिखित 'शिक्षारत' की श्रेणी की पूर्ति होगी।

v. अर्हताएं/ एनओएस/ एमसी क्षेत्र के आधार पर उचित स्तर (स्नातक छात्र के लिए स्तर 4.5 से स्तर 6 और स्नातकोत्तर के मामले में स्तर 6 से 7) की होंगी।

ख. **मॉडल-2: उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नियमित नामित छात्रों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम/ अर्हता के रूप में प्रस्तावित किए जाने वाले कौशल आधारित पाठ्यक्रम/अर्हताएं:** ऐसे पाठ्यक्रमों को स्नातक/ स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में एकीकृत नहीं किया जा सकता, लेकिन स्नातक/ स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामित नियमित छात्रों के लिए अतिरिक्त क्रेडिट और प्रमाण पत्र के साथ वैकल्पिक/ अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित किया जाता है।

ऐसे मामलों में दो परिदृश्य हो सकते हैं:

(क) ऐसी अर्हताएं/ पाठ्यक्रम एनएचईआरएफ से संरेखित हो सकते हैं - ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा स्टॉपिंग, नामकरण, अवसंरचना यथा लागू दिशानिर्देशों/ नियमों के एनएचईक्यूएफ मानदंडों के अनुसार प्रमाणीकरण किया जाना चहिए।

(ख) ऐसी अर्हताएं/ पाठ्यक्रम भी एनएसक्यूएफ संरेखित हो सकते हैं। इस मामले में भी **उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नियमित पंजीकृत छात्रों के लिए एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम/ अर्हता के रूप में ऐसे एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों/ अर्हताओं को प्रस्तावित** करने के लिए एनसीवीईटी का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा। तथापि, निम्नलिखित लागू होंगे:

i. यदि संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान एनसीवीईटी का मान्यता प्राप्त एबी नहीं है और अर्हता को सीधे लागू करता है - तो कोई एनसीवीईटी प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा। तथापि, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रशिक्षण मानकों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं की आवश्यकता सहित अवसंरचना, प्रशिक्षकों और अनुदेशकों की योग्यताओं, शिक्षण परिणामों के व्यावहारिक और उचित मूल्यांकन के साथ पाठ्यक्रम की डिलीवरी के संबंध में एनसीवीईटी के संबंधित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

ii. यदि संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त एबी है या एनसीवीईटी के मान्यता प्राप्त एबी के माध्यम से अर्हता प्रस्तावित की जाती है, तो एनसीवीईटी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता और **प्रस्तावित की जाने वाली अर्हताएं किसी भी स्तर की हो सकती हैं।**

iii. एकल पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित की जाने वाली अर्हताओं/ एनओएस/ एमसी का नाम पाठ्यक्रम विषय के नाम या कौशल क्षमता की प्रकृति का होगा और इसे जॉब भूमिका के नाम के साथ होना जरूरी नहीं है। तथापि, इसे जॉब भूमिका के रूप में दिखाया जा सकता है, यदि यह प्रवेश अर्हताओं, नोशनल घंटों, पूर्व अनुभव अथवा ओजेटी आदि सहित एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित पाठ्यक्रम/ अर्हताओं की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

ग. **मॉडल-3 : उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत किए गए छात्रों और शिक्षुओं के अलावा,** अर्थात खुले बाजार से, **अतिरिक्त पाठ्यक्रम/अर्हता के रुप में प्रस्तावित कौशल आधारित पाठ्यक्रम/अर्हताएं:** कौशल की इस श्रेणी के लिए निम्नलिखित लागू होंगे :-

i. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एनसीवीईटी से अवार्डिंग निकाय (एबी) के रूप में मान्यता लेनी होगी या एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त एबी के माध्यम से कौशल अर्हताएं लागू करनी होगी। उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों और स्कूल बोर्डों के लिए अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता के लिए एक बहुत ही सरल प्रक्रिया एनसीवीईटी द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है।

ii. वे अपने द्वारा विकसित और राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित कराई गई एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित कौशल आधारित पाठ्यक्रम/ अर्हताएं प्रस्तावित कर सकते हैं।

iii. वैकल्पिक रूप से, संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान एनसीवीईटी के अन्य मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अर्हताएं अपना सकते हैं और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल में एनसीआरएफ के संचालन के लिए एसओपी में प्रदान की गई विस्तृत प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का पालन करके प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं।

iv. एक राष्ट्रीय स्तर का एनसीवीईटी कौशल अर्हता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

v. किसी भी स्तर के एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम, ऐसे पाठ्यक्रमों/अर्हताओं को अपनाने के अधीन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। साथ ही, गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए संबधित उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रशिक्षण मानकों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं की आवश्यकता सहित अवसंरचना, प्रशिक्षकों की अर्हता और प्रशिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम के व्यावहारिक और शिक्षण परिणामों के उचित मूल्यांकन के संबंध में एनसीवीईटी के संबंधित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

vi. अपार (एपीएएआर) के लिए संस्थान और छात्रों/शिक्षुओं का शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) और कौशल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) में पंजीकरण अनिवार्य होगा।

vii. यहां तक कि यदि उच्चतर शिक्षा संस्थान एनसीवीईटी का एक मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय नहीं है, तो भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने स्वयं के एनएचईक्यूएफ संरेखित

कौशल आधारित पाठ्यक्रम का प्रस्ताव कर सकता है, जो **उच्चतर शिक्षा संस्थान में स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों और शिक्षुओं के अलावा**, अर्थात् खुले बाजार से, अन्य छात्रों और शिक्षुओं के लिए अपने सर्वोच्च अवार्डिंग निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित है। ऐसे मामलों में उच्चतर शिक्षा संस्थान का प्रमाण पत्र क्रेडिट के साथ जारी किया जा सकता है। **तथापि, ऐसे मामलों में उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा एनसीवीईटी अनुमोदित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।**

5.2 **मॉडल 2 और मॉडल 3 के अनुसार एकल (स्टैण्डअलोन) पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित की जाने वाली अर्हताओं/ एनओएस का विकास करने वाले एबी को उपरोक्त अपेक्षाओं को ध्यान में रखना होगा।**

6. **स्कूल शिक्षा में वीईटीएस का एकीकरण :** संबंधित स्कूल बोर्डों द्वारा स्कूलों में प्रस्तावित किए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रमों पर भी यही सिद्धान्त लागू होंगे।